न्यायालय–अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या–1 केकड़ी, जिला–अजमेर.

पीठासीन अधिकारी	–	जयमाला पानीगर, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)
सेशन प्रकरण संख्या	–	56/2023.
सी.आई.एस. नंबर	–	56/2023.
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	–	186/2023 पुलिस थाना सरवाड़.
सी.एन.आर. नंबर	–	आर.जे.ए.जे.130009602023.

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, केकड़ी, जिला–अजमेर.

ब ना म

1. दीपू पुत्र श्री किशोर कीर, निवासी वार्ड नं. 01 सरवाड़, पुलिस थाना सरवाड़, जिला अजमेर।
2. किशोर लाल पुत्र श्री रामदेव, निवासी वार्ड नं. 01 सरवाड़, पुलिस थाना सरवाड़, जिला अजमेर।
3. श्रीमती नोरती पत्नी किशोर कीर, निवासी वार्ड नं. 01 सरवाड़, पुलिस थाना सरवाड़, जिला अजमेर।

.. अभियुक्तगण.

अपराध अन्तर्गत धारा 323, 341, 324, 325, 326, 307/34 भा.दं.सं. व 498 ए, 406 भा.दं.सं. एवं धारा 3/4 राजस्थान डायर प्रताड़ना अधि., 2015.

उपस्थितिः–

1. श्री मोहिन्दर कुमार जोशी, अपर लोक अभियोजक वास्ते राज्य.
2. श्री अनिल शर्मा, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तगण.

– **नि र्ण य** – **दिनांक– 15 जून 2026.**

01– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 01.07.2023 को परिवादीया पूजा द्वारा एक तहरीरी रिपोर्ट पुलिस थाना जहाजपुर, भीलवाड़ा में इस आशय की पेश की गयी कि उसकी शादी दिनांक 14.5.2021 को दीपु कीर के साथ

हिन्दू रीति–रिवाज अनुसार एवं समाज में प्रचलित प्रथा के अनुसार ग्राम जहाजपुर में सम्पन्न हुई थी। उसके माता–पिता एवं समाज के व्यक्तियों ने उसे स्त्रीधन के रूप में खाने–पीने के बर्तन एवं पंखा, बेवड़ा, कुलर, अलमारी, एल.सी.डी., सोने का मांदलिया आधा तोला का, चॉन्दी की पायजेब 3.50 ग्राम, चॉन्दी की गले की चैन 125 ग्राम, रोकड 30 हजार रुपये, हथलेवा व सोने के कानों के टोप्स, आधा तोला का मंगल सूत्र सोने का व अन्य सामान स्त्रीधन के रूप में दिये जो वर्तमान में अभियुक्तगण के पास है। प्रार्थिया शादी के बाद अपने ससुराल में आने–जाने लगी एवं अपने पत्नी धर्म का पालन करने लगी। प्रार्थिया के एक पुत्र हुआ जो लगभग एक वर्ष का है व वर्तमान मे अभियुक्तगण के पास है। शादी के बाद एक भी बार प्रार्थिया को अपने पिहर में नहीं भेजा। एक–दो बार प्रार्थिया के माता–पिता उससे मिलने सरवाड़ गये, लेकिन मिलने नहीं दिया। प्रार्थिया के पुत्र के पैदा होने के बाद उसके पति दीपु व उसके घरवालों का व्यवहार बदल गया तथा आये दिन उसकी सास नोरती उसको डायन कहने लगी तथा उसकी नणद पुजा, माया, ससुर किशोर, काकी ससुर प्रकाश, देवर रवि कीर ने एक षड्यन्त्र रचकर प्रार्थिया के मुँह के दांत तोड़ दिया। सास नोरती ने प्रार्थिया की छाती पर पैर रख कर दिया तथा अन्य अभियुक्तगण ने दोनों पैर व हाथ गाल, पीठ पर लोहे की चम्मच को गेस पर गर्म करके प्रार्थीया के घाव लगा दिया तथा सिर के बाल काट दिये तथा सिर पर सास–ससुर ने ईटों की मारी। वे आये दिन लकड़ी से मारपीट करते हैं...इत्यादि।

02– उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना जहाजपुर, भीलवाड़ा ने जीरो नंबरी एफ.आई.आर. दर्ज कर मामला सरवाड़ थाने के क्षेत्राधिकार का होने से पुलिस थाना सरवाड़ को प्रेषित की गयी, जिस पर पुलिस थाना सरवाड़ द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–186/2023 अन्तर्गत धारा 341, 323, 307, 498ए, भा.द.स. व 3/4 राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2015 में पंजीबद्ध की जाकर अनुसंधान किया गया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्तगण दीपू, किशोर लाल व नोरती के विरुद्ध धारा 341, 323, 307, 324, 325, 326/34, 498ए, 406 भा.दं.सं. व धारा 3/4 राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2015 में आरोप पत्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट सरवाड़, जिला–अजमेर में पेश किया न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट सरवाड़ द्वारा प्रकरण में बहस प्रसंज्ञान सुनी जाकर अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया गया व धारा 307 भा.दं.सं. सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से उक्त न्यायालय द्वारा प्रकरण इस न्यायालय को कमिट किया गया।

03– अभियुक्तगण के न्यायालय में उपस्थित आने पर बहस चार्ज सुनी गई। अभियुक्तगण दीपू, किशोरलाल व नोरती को धारा 323, 341, 324, 325, 326, 307/34, 498ए, 406 भा.दं.सं. व धारा 3/4 राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2015 का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने अपराध आरोप को सुन व समझकर अस्वीकार किया तथा अन्वीक्षा चाही।

04– अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्नाकिंत साक्षीगण की साक्ष्य

लेखबद्ध करवाई गईः–

अभियोजन साक्षी	साक्षी का नाम	संक्षिप्त विवरण
PW-01	पूजा	परिवादीया, नक्शा मौका घटनास्थल
PW-02	सुखदेव	नक्शा मौका घटनास्थल
PW-03	कमलेश	नक्शा मौका घटनास्थल व बयान धारा 161 दं.प्र.सं.
PW-04	मोहनलाल	बयान धारा 161 दं.प्र.सं.
PW-05	सोहनलाल	बयान धारा 161 दं.प्र.सं.
PW-06	विमला	बयान धारा 161 दं.प्र.सं.
PW-07	पूजा	बयान धारा 161 दं.प्र.सं.
PW-08	राकेश	बयान धारा 161 दं.प्र.सं.
PW-09	हगामी	बयान धारा 161 दं.प्र.सं.
PW-10	महेश कुमार	चोट प्रतिवेदन पीड़िता/परिवादीया
PW-11	कमलेशी	बयान धारा 161 दं.प्र.सं.
PW-12	फूला	बयान धारा 161 दं.प्र.सं.
PW-13	सुरेंद्र कुमार गोदारा	अनुसंधान अधिकारी

05– अभियोजन पक्ष द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाएः–

प्रदर्श मार्क संख्या	प्रदर्शित दस्तावेज का विवरण
प्रदर्श पी–01	तहरीरी रिपोर्ट
प्रदर्श पी–02	फर्द नक्शा मौका घटनास्थल प्रथम
प्रदर्श पी–03	फर्द नक्शा मौका घटनास्थल द्वितीय
प्रदर्श पी–04	पुलिस बयान गवाह सुखदेव
प्रदर्श पी–05	पुलिस बयान गवाह कमलेश
प्रदर्श पी–06	पुलिस बयान गवाह मोहनलाल
प्रदर्श पी–07	पुलिस बयान गवाह सोहनलाल
प्रदर्श पी–08	विमला
प्रदर्श पी–09	पुलिस बयान गवाह पूजा
प्रदर्श पी–10	पुलिस बयान गवाह राकेश
प्रदर्श पी–11	पुलिस बयान गवाह हगामी
प्रदर्श पी–12	चोट प्रतिवेदन मजरूबा पूजा
प्रदर्श पी–13	चोट प्रतिवेदन की ऑपिनियन
प्रदर्श पी–14 लगायत पी–16	पीएमओ, एम.जी. हॉस्पिटल, भीलवाड़ा को चोटों की ऑ. पिनियन के लिए दी गयी तहरीर
प्रदर्श पी–17	पुलिस बयान गवाह कमलेशी

प्रदर्श पी—17	एम.ओ., जहाजपुर को पीड़िता की आई.आर. बाबत् दी गयी तहरीर
प्रदर्श पी—18	पुलिस बयान गवाह फूला
प्रदर्श पी—19	चाक एफ.आई.आर थाना सरवाड़
प्रदर्श पी—20	चाक एफ.आई.आर थाना जहाजपुर
प्रदर्श पी—21	फर्द नक्शा मौका घटनास्थल
प्रदर्श पी—22	फर्द नक्शा मौका बरामदगीस्थल लकड़ी का डंडा व मोटरसाईकिल
प्रदर्श पी—23	फर्द तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल द्वितीय
प्रदर्श पी—24	फर्द नक्शा मौका बरामदगीस्थल स्टील का पल्टा
प्रदर्श पी—25	फर्द तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल प्रथम
प्रदर्श पी—26	अभियुक्ता नोरती की निशादेही से फर्द तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल द्वितीय
प्रदर्श पी—27	सी.एच.सी., सरवाड़ की ओ.पी.डी. पंजीयन पर्ची
प्रदर्श पी—28	एक्स—रे रिक्वीजेशन फार्म
प्रदर्श पी—29	एम.जी. अस्पताल, भीलवाड़ा का डिस्चार्ज टिकिट
प्रदर्श पी—30	पी.एम.ओ., एम.जी. अस्पताल को आई.आर. बाबत् दी गयी तहरीर
प्रदर्श पी—31	एम.जी.एच., भीलवाड़ा की पीड़िता पूजा की ओ.पी.डी. पंजीयन प्रति
प्रदर्श पी—32	एम.ओ., जहाजपुर को पीड़िता पूजा की आई.आर. में चोटों के संबंध में स्पष्ट राय हेतु दी गयी तहरीर
प्रदर्श पी—33	मेडिकल बोर्ड ऑपिनियन
प्रदर्श पी—34	पी.एम.ओ, एम.जी. अस्पताल, भीलवाड़ा को रेडियोलॉजी एक्सपर्ट ऑपिनियन हेतु दी गयी तहरीर
प्रदर्श पी—35	सामूहिक चिकित्सा संघ, अजमेर द्वारा पी.एम.ओ, एम.जी. अस्पताल, भीलवाड़ा को जारी तहरीर
प्रदर्श पी—36	उप—अधीक्षक, जे.एल.एन. अस्पताल, अजमेर को विभागाध्य क्ष रेडियोडॉयग्नोसिस विभाग जेएलएन अस्पताल, अजमेर द्वारा जारी तहरीर
प्रदर्श पी—37	अधीक्षक, जेएलएन अस्पताल, अजमेर को रेडियोलॉजी एक्सपर्ट ऑपिनियन हेतु जारी तहरीर
प्रदर्श पी—38	पी.एम.ओ, एम.जी अस्पताल, भीलवाड़ा पीड़िता पूजा की आई.आर. के संबंध में ऑपिनियन हेतु दी यी तहरीर
प्रदर्श पी—39	एम.जी. अस्पताल, भीलवाड़ा में पीड़िता पूजा के भर्ती होने व इलाज के संबंध में दस्तावेज
प्रदर्श पी—40	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त दीपू
प्रदर्श पी—41	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त किशोरलाल
प्रदर्श पी—42	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्ता नोरती देवी
प्रदर्श पी—43 लगायत	अभियुक्तगण की धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की

पी—54	इत्तलाएं
प्रदर्श पी—55	फर्द जब्ती पूजा की तीन रंगीन फोटो
प्रदर्श पी—56	फर्द जब्ती स्त्रीधन
प्रदर्श पी—57	फर्द जब्ती घटना में प्रयुक्त लकड़ी का डंडा
प्रदर्श पी—58	फर्द जब्ती घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल सं. आरजे 48 एसए 1385
प्रदर्श पी—59	फर्द जब्ती स्टील का पल्टा
प्रदर्श पी—60 लगायत पी—67	पीड़िता पूजा के संबंध में फोटोग्राफ्स
प्रदर्श पी—68	धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र
प्रदर्श पी—69 लगायत पी—89	नकल रोजनामचा रपट
प्रदर्श पी—90	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति
प्रदर्श पी—91	अभियुक्तगण का सजायाबी रिकॉर्ड
प्रदर्श पी—92 लगायत पी—95	अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व में दर्ज प्र.सू.रि.
प्रदर्श पी—96	पीड़िता के शादी के फोटोग्राफ्स
प्रदर्श पी—97	परिवादीया के बयानों की विडियोग्राफी का पैनड्राईव
प्रदर्श पी—98	पीड़िता पूजा के एम.एल.सी. एक्स—रे
प्रदर्श पी—99	चार्जशीट.

07— दौराने विचारण परिवादिया/पी़डिता व अभियुक्तगण की ओर से धारा 323/34 341/34, 325/34, 406 भा.दं.सं. में राजीनामा पेश किया गया, जो बाद जांच तस्दीक किया गया। अब अभियुक्तगण पर धारा 324/34, 326/34, 307/34, 498 ए भा.दं.सं. व धारा 3/4 डायन प्रताड़ना अधिनियम का विचारण शेष है।

08— अभियोजन की साक्ष्य समाप्ति पर अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत आई साक्ष्य का स्पष्टीकरण धारा 313 द.प्र.सं./351 बी.एन.एस.एस. के तहत अभियुक्तगण से लिया गया तो अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना तथा स्वयं को झूठा फंसाए जाने का कथन किया तथा प्रतिरक्षा में कोई मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श डी—1 पुलिस बयान पी़डिता को प्रदर्शित कराया गया।

09— **विद्वान अपर लोक अभियोजक** ने बहस के दौरान तर्क दिया कि पत्रावली पर आई साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किए जाने का निवेदन किया।

10— इसके विपरीत **विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण** ने बहस के दौरान तर्क दिया कि पी़डिता ने एफ.आई.आर. में क्या लिखा हुआ था, इसकी उसे जानकारी नहीं है तथा उसके द्वारा किसी के कहने के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पी़डिता ने साक्ष्य में यह

भी नहीं बताया हैकि अभियुक्तगण के द्वारा उसके साथ मारपीट कब की गई तथा ईलाज के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित नहीं है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषमुक्त किया जावे।

11– उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा सुसंगत विधि का अध्ययन किया। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु हमारे समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि:–

1. ''आया अभियुक्तगण दीपू, किशोरलाल व नोरती ने दिनांक 14.05.2021 को आपस में मिलकर अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादीया/पी़डिता ''एक्स'' के साथ विवाह के लगभग एक–डेढ़ वर्ष पश्चात् परिवादीया/पी़डिता को जान से मारने के आशय से खतरनाक आयुध गर्म लोहे के पल्टे से मारपीट कर, उसके मुंह में डण्डा डालकर दांत तोड़कर तथा धारदार हथियार लोहे के गर्म पल्टे से शरीर पर दागकर उसके स्वेच्छया घोर उपहति कारित की तथा उसे गड्ढा खोदकर आधा जमीन में दबाकर गंभीर रूप से मारपीट कर उसकी हत्या करने का प्रयत्न किया तथा पी़डिता/परिवादीया के विवाह के पश्चात् उसका पति व पति के रिश्तेदार रहते हुए समय–समय पर उसके साथ दहेज में एक लाख रुपये की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट कर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रता़डित कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया व उसे डायन बताकर व डायन कहकर प्रता़डित किया ?
2. यदि हां तो उसकी सजा क्या होगी ?

12– अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में कुल 13 गवाहान को परीक्षित कराया गया है। **गवाह पी.ड.–1 पूजा** ने साक्ष्य दी है कि वह जहाजपुर की रहने वाली है। आज से करीबन तीन साल पहले उसका विवाह दीपू पुत्र किशोर के साथ हिंदू रिति–रिवाज के साथ जहाजपुर में संपन्न हुआ, तब उसके घर वालों ने उसे दहेज में खाने–पीने के बर्तन, कूलर, सोने का मांदलिया, एलसीडी, गले की चैन चांदी की, पायजेब चांदी की व मंगलसूत्र, सोने के टोप्स हथलेवा में तीस हजार रुपये दिये। शादी के बाद वह ससुराल आने–जाने लग गई थी। शादी के बाद उसके लड़का हुआ। उसे उसके ससुराल वाले उसके पिहर नहीं भेजते थे। उसके सास–ससुर व उसका पति दीपू उससे उसके बाप से एक लाख रुपये लाकर देने पर ही उसे पिहर भेजने की कहते। उसके माता–पिता फोन करके कहते कि वे पूजा को लेने आ रहे हैं। उसके सास–ससुर व पति उसके घर वालों को धमकी देते थे कि तुमको मारेंगे–कूटेंगे। उसके मां–बाप उसे लेने आ गए तो जान से खत्म कर देंगे। उसके साथ मारपीट करने लग गए।

13– **गवाह पी.ड.–1 पूजा** ने यह भी साक्ष्य दी है कि उसे उसके ससुराल वाले व उसके सास–ससुर व उसका पति हौद का पानी पिलाते थे और डायन कहते थे। उसको उसके ससुराल वाले, उसका पति दीपू और उसका देवर रवि, उसकी सास, उसकी ननद पूजा, माया सभी ने उसके साथ मारपीट की व उससे घृणा करने लग गए और कहते थे कि उसे भी उसके मां–बाप के साथ खत्म कर देंगे। उसकी सास नोरती देवी ने उसके दोनों हाथ तोड़ दिये। चम्मच को गैस पर गर्म करके उसके पैरों व हाथों में तथा

मुंह पर जला दिया। उसे गालियां भी दी। उसके सिर में ईंट की मारी। आज से डेढ साल पहले उसके ससुराल में उसकी काकी विमला मिलने आई, जिसको उसके सामने घटना के बारे में बताया था। विमला ने उसके माता–पिता को घटना के बारे में बताया। दो दिन बाद उसे लेने के लिए उसके माता–पिता व बुद्धिप्रकाश, सत्तू काका वगै. आए। उसने पुलिस थाना जहाजपुर आते ही घटना के बारे में रिपोर्ट दी थी। जहाजपुर व भीलवाडा में उसके साथ हुई मार–पीट का मेडिकल व इलाज हुआ था। फिर सरवाड़ पुलिस थाना आई थी। उसने घटना की रिपोर्ट दी थी। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 है। पुलिस ने उसकी साथ हुई घटना का नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी 2 व पी 3 देखा था जो उसके ससुराल व खेत का देखा था। उसके ससुराल वालों ने व उसके पति दीपू ने उससे दहेज में एक लाख रुपये की मांग थी। उसके पति दीपक व सास–ससुर व देवर ने उसके साथ मारपीट की थी।

14– **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि मुझे याद नहीं कि मेरा विवाह कौनसे महिने व सन् में हुआ था, न ही मैं बता सकती हूं कि मेरे साथ मारपीट व दहेज की मांग कब की गई थी। मैंने तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 नहीं लिखाई थी तथा मुझे पता नहीं कि तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 में क्या लिखा हुआ है, न ही मुझे पढ़कर सुनाई थी। नक्शा–मौका प्रदर्श पी–2 व पी–3 पर खाली कागज पर थाने पर अंगूठा निशानी कराई थी। यह सही है कि भीलवाड़ा से तारा मैडम के कहने पर मुकदमा दर्ज कराया था। मेरे ससुराल वालों ने मारपीट नहीं की, न ही दहेज की मांग की। थाना सरवाड़ में रिपोर्ट नहीं की। पुलिस बयान हुए थे। पुलिस बयान प्रदर्श डी–1 का ए से बी भाग ए से बी भाग पुलिस को नहीं लिखाया। मेरे जहाजपुर अस्पताल में कोई अंगूठा निशानी नहीं कराई।

15– **गवाह पी.ड.–2 सुखदेव** ने साक्ष्य दी है कि वह जहाजपुर में खेती का कार्य करता है। उसकी लड़की पूजा की शादी दीपक उर्फ दीपू के साथ हुई थी। शादी के कुछ साल बाद तक सब ठीक–ठाक रहा। उसके जंवाई ने उसकी लड़की के साथ मारपीट की थी। उसने शादी में अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज दिया था। मेरा जंवाई मेरी बेटी को आराम से रखता था। गवाह को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। **अपर लोक अभियोजक की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि उसके पुलिस बयान हुए थे। पुलिस बयान प्रदर्श पी–4 का ए से बी भाग ''मेरी तीनों बेटियां.....जाकर देखा'' तथा सी से डी भाग ''पूजा.....खत्म कर देते'', पुलिस को नहीं लिखाया। नक्शा–मौका प्रदर्श पी–2 व पी–3 पर उसके हस्ताक्षर हैं। यह सही है कि हमारा अभियुक्तगण से राजीनामा हो गया है तथा यह कहना गलत है कि राजीनामा होने के कारण आज न्यायालय में झूठे बयान दे रहा हूं। **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि मेरी पुत्री ने कभी नहीं बताया कि उसका पति उसके साथ मारपीट करता है व दहेज की मांग करता है। मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी ने उसके पति के विरूद्ध रिपोर्ट क्यों दर्ज कराई, जबकि मेरा जंवाई मेरी बेटी को राजीखुशी रखता है।

16– **गवाह पी.ड.–3 कमलेश** ने साक्ष्य दी है कि वह जहाजपुर में खेती का कार्य करती है। उसकी लड़की पूजा की शादी दीपक उर्फ दीपू के साथ हुई थी। शादी के कुछ साल बाद तक सब ठीक–ठाक रहा। उसके जंवाई ने उसकी लड़की के साथ मारपीट की

थी। उन्होंने शादी में अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज दिया था। मेरा जंवाई मेरी बेटी को आराम से रखता था। गवाह को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। **अपर लोक अभियोजक की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि उसके पुलिस बयान नहीं हुए थे। पुलिस बयान प्रदर्श पी—5 का ए से बी भाग ''मेरी तीनों बेटियां.....नहीं दिखाया'' तथा सी से डी भाग ''पूजा.....खत्म कर देते'', पुलिस को नहीं लिखाया। नक्शा—मौका प्रदर्श पी—2 व पी—3 पर उसी अंगूठा निशानी हैं। यह कहना गलत है कि राजीनामा होने के कारण आज न्यायालय में झूठे बयान दे रहा हूं। **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि मेरी पुत्री ने कभी नहीं बताया कि उसका पति उसके साथ मारपीट करता है व दहेज की मांग करता है। मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी ने उसके पति के विरूद्ध रिपोर्ट क्यों दर्ज कराई, जबकि मेरा जंवाई मेरी बेटी को राजीखुशी रखता है।

17— **गवाह पी.ड.—4 मोहनलाल** के द्वारा साक्ष्य दी गई है कि वह जहाजपुर में खेती का कार्य करता है तथा उसकी भतीजी पूजा की शादी दीपू के साथ सरवाड़ में हुई थी। उसे पता नहीं कि दीपू उसकी भतीजी को कैसे रखता है। गवाह को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। **अपर लोक अभियोजक की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि उसके पुलिस बयान नहीं हुए थे। पुलिस बयान प्रदर्श पी—6 का ए से बी भाग ''मैं.....खेती बाड़ी'' तथा सी से डी भाग ''मुंह में उपर.....चल रहा है'', पुलिस को नहीं लिखाया। यह कहना गलत है कि राजीनामा होने के झूठे बयान दे रहा हूं। **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि उसकी भतीजी ने कभी नहीं बताया कि उसका पति उसके साथ मारपीट व दहेज की मांग करता है। मुझे नहीं पता कि उसकी भतीजी ने उसके पति के विरूद्ध रिपोर्ट क्यों दर्ज कराई, जबकि उसका जंवाई भतीजी को राजीखुशी रखता है।

18— **गवाह पी.ड.—5 सोहन** के द्वारा साक्ष्य दी गई है कि वह जहाजपुर में खेती का कार्य करता है तथा उसकी भतीजी पूजा की शादी दीपू के साथ सरवाड़ में हुई थी। उसे पता नहीं कि दीपू उसकी भतीजी को कैसे रखता है। गवाह को **अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है।** अपर लोक अभियोजक की जिरह में गवाह ने कथन किया कि उसके पुलिस बयान नहीं हुए थे। पुलिस बयान प्रदर्श पी—7 का ए से बी भाग ''सुखदेव की.....लगा दिया'' तथा सी से डी भाग ''जिससे मेरा चेहरा.....ईलाज चल रहा है'', पुलिस को नहीं लिखाया। यह कहना गलत है कि राजीनामा होने के झूठे बयान दे रहा हूं। **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि उसकी भतीजी ने कभी नहीं बताया कि उसका पति उसके साथ मारपीट व दहेज की मांग करता है। मुझे नहीं पता कि उसकी भतीजी ने उसके पति के विरूद्ध रिपोर्ट क्यों दर्ज कराई, जबकि उसका जंवाई भतीजी को राजीखुशी रखता है।

19— **गवाह पी.ड.—6 विमला** ने साक्ष्य दी है कि वह जहाजपुर में रहती है। उसकी जेठूती का विवाह दीपू के साथ सरवाड़ में हुआ था। उसे नहीं पता कि उसकी जेठूती को उसका पति कैसे रखता था। गवाह को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। **अपर लोक अभियोजक की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि उसके पुलिस बयान नहीं हुए थे। पुलिस बयान प्रदर्श पी—8 का ए से बी भाग ''मैं मेहनत.....बेटी भी है'' तथा

सी से डी भाग ''जिसकी.....अत्याचार किया'', पुलिस को नहीं लिखाया। यह कहना गलत है कि राजीनामा होने के झूठे बयान दे रहा हूं। **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि उसकी जेठूती ने कभी नहीं बताया कि उसका पति उसके साथ मारपीट व दहेज की मांग करता है। मुझे नहीं पता कि उसकी भतीजी ने उसके पति के विरूद्ध रिपोर्ट क्यों दर्ज कराई, जबकि उसका जंवाई भतीजी को राजीखुशी रखता है।

20– **गवाह पी.ड.–7 पूजा पत्नी मोहनलाल** ने साक्ष्य दी है कि वह जहाजपुर में रहती है। उसकी जेठूती का विवाह दीपू के साथ सरवाड़ में हुआ था। उसे नहीं पता कि उसकी जेठूती को उसका पति कैसे रखता था। गवाह को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। **अपर लोक अभियोजक की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि उसके पुलिस बयान नहीं हुए थे। पुलिस बयान प्रदर्श पी–9 का ए से बी भाग ''मेहनत.....लगा हुआ था'' तथा सी से डी भाग ''मुंह में उपर......ईलाज चल रहा है'', पुलिस को नहीं लिखाया। यह कहना गलत है कि राजीनामा होने के झूठे बयान दे रहा हूं। **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि उसकी जेठूती ने कभी नहीं बताया कि उसका पति उसके साथ मारपीट व दहेज की मांग करता है। मुझे नहीं पता कि उसकी जेठूती ने उसके पति के विरूद्ध रिपोर्ट क्यों दर्ज कराई, जबकि उसका जंवाई जेठूती को राजीखुशी रखता है।

21– **गवाह पी.ड.–8 राकेश** ने साक्ष्य दी हैकि वह टोडारायसिंह में रहता है। उसकी भानजी की शादी दीपू के साथ सरवाड़ में हुई थी। उसे नहीं पता कि उसकी भानजी को उसका पति कैसे रखता था। गवाह को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। **अपर लोक अभियोजक की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि उसके पुलिस बयान नहीं हुए थे। पुलिस बयान प्रदर्श पी–10 का ए से बी भाग ''मेरी बहन .....डाम लगे हुए थे'' तथा सी से डी भाग ''मैंने मेरी.....इसे जान से मार देते'', पुलिस को नहीं लिखाया। यह कहना गलत है कि राजीनामा होने के झूठे बयान दे रहा हूं। **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि उसकी भानजी ने कभी नहीं बताया कि उसका पति उसके साथ मारपीट व दहेज की मांग करता है। मुझे नहीं पता कि उसकी भानजी ने उसके पति के विरूद्ध रिपोर्ट क्यों दर्ज कराई, जबकि उसका जंवाई भानजी को राजीखुशी रखता है।

22– **गवाह पी.ड.–9 हगामी** ने साक्ष्य दी है कि वह जहाजपुर में रहती है। उसकी पोती की शादी दीपू के साथ सरवाड़ में हुई थी। उसे नहीं पता कि उसकी पोती को उसका पति कैसे रखता था। गवाह को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। **अपर लोक अभियोजक की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि उसके पुलिस बयान नहीं हुए थे। पुलिस बयान प्रदर्श पी–11 का ए से बी भाग ''मैं घर पर .....लेकर जाएंगे'' तथा सी से डी भाग ''जिस पर पूजा का पति.....खत्म कर देते'', पुलिस को नहीं लिखाया। यह कहना गलत है कि राजीनामा होने के झूठे बयान दे रहा हूं। **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि उसकी पोती ने कभी नहीं बताया कि उसका पति उसके साथ मारपीट व दहेज की मांग करता है। मुझे नहीं पता कि उसकी पोती ने उसके पति के विरूद्ध रिपोर्ट क्यों दर्ज कराई, जबकि उसका जंवाई पोती को राजीखुशी रखता है।

23– **गवाह पी.ड.–10 महेश कुमार** ने साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 27.06.2023 को सी.एच.सी. जहाजपुर पर चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन उसने पुलिस प्रतिवेदन पर पूजा देवी पत्नी दीपू कोर के शरीर पर आयी चोटों का परीक्षण किया था, जिसके निम्न चोटे पायी गयीः– **चोट सं. 1** सिर के पीछे सूजन, **चोट सं. 2** बाएं हाथ की कलाई पर सूजन, **चोट सं. 3** दाहिने हाथ की कलाई पर सूजन, **चोट सं. 4** सीधे हाथ के फोर आम पर सूजन, **चोट स. 5** दोनों आंखों के नीचे सूजन, **चोट सं. 6** दाएं कूल्हे के नीचे सूजन, **चोट सं 7** दोनों पैरों के घुटनों पर सूजन, **चोट सं. 8** दांए कंधे पर दर्द की शिकायत, **चोट सं. 9** सीने के दांयी तरफ दर्द की शिकायत, **चोट सं. 10** मुंह के उपर वाले दांतों में से एक दांत नहीं था, **चोट सं. 11** उपर वाले दांत ढीले हो गये थे, **चोट सं. 12** सीने के बायीं तरफ खरोंच थी, 5 गुणा 4 तथा 3 गुणा 3 से.मी., **चोट स. 13** पीठ पर एक से ज्यादा संख्या में खरोंच के निशान थे, 2 गुणा 2, 2 गुणा 3 तथा 2 गुणा 1, 2 गुणा 2 सेमी., **चोट सं. 14** चेहरे के बायीं तरफ खरोंच का निशान था, 4 गुणा 2 से.मी., **चोट सं. 15** बाएं हाथ की कलाई पर खरोच का निशान था, 4 गुणा 3 व 6 गुणा 2 से.मी., **चोट सं. 16** दोनों पैरों के निचले हिस्सों पर खरोंच के निशान थे, 7 गुणा 4, 2 गुणा 4, 5 गुणा 3 व 6 गुणा 3 से.मी. व **चोट सं. 17** दायें पैर पर एक खरोंच का निशान था, 4 गुणा 4 से.मी. थी।

24– **गवाह पी.ड.–10 महेश कुमार** ने यह भी साक्ष्य दी है कि चोट संख्या–01, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16 व 17 साधारण प्रकृति की चोट थी तथा 02, 03, 04 व 10 गंभीर प्रकृति की चोटे थीं। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–12 पर एक्स स्थान पर पूजा की अंगूठा निशानी व ए से बी उसके हस्ताक्षर है। चोट प्रतिवेदन का ऑपिनियन दिनांकित 06.08.2023 प्रदर्श पी–13 है। दिनांक 03.07.2023 को पी एम ओ, एम जी हॉस्पिटल, भीलवाडा को चोटों के ऑपिनियन के लिए लिखित तहरीर प्रदर्श पी–14, प्रदर्श पी–15 व प्रदर्श पी–16 है, जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पीडिता पूजा देवी के चोट प्रतिवेदन में वर्णित अंकित चोटों के संबंध में राय मांगी गई थी कि चोटे प्राणघातक है अथवा नहीं। उसे बाद में राय प्राप्त हुई थी। उसकी राय के अनुसार चोट संख्या–03, 04 व 10 में अस्थि भंग पाया गया। चोट संख्या 02 की अवधि 45 दिन से अधिक की थी तथा चोट संख्या 3 व 4 की अवधि एक महीने से ज्यादा की थी तथा अन्य चोटे 02 महीने से अधिक अवधि की थीं।

25– **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि चोट संख्या–2 लगायत 4 व 10 दुर्घटना से आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है तथा पीडिता के कोई प्राणघातक चोटें नहीं थी।

26– **गवाह पी.ड.–11 कमलेश** ने साक्ष्य दी है कि वह जहाजपुर में रहती है। उसकी पोती की शादी दीपू के साथ सरवाड़ में हुई थी। उसे नहीं पता कि उसकी पोती को उसका पति कैसे रखता था। गवाह को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। **अपर लोक अभियोजक की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि उसके पुलिस बयान नहीं हुए थे। पुलिस बयान प्रदर्श पी–17 का ए से बी भाग ''मेरे देवर के .....जल गए''

तथा सी से डी भाग ''उसके बाद.....ईलाज चल रहा है'', पुलिस को नहीं लिखाया। यह कहना गलत है कि राजीनामा होने के झूठे बयान दे रहा हूं। **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि उसकी पोती ने कभी नहीं बताया कि उसका पति उसके साथ मारपीट व दहेज की मांग करता है। मुझे नहीं पता कि उसकी पोती ने उसके पति के विरूद्ध रिपोर्ट क्यों दर्ज कराई, जबकि उसका जंवाई पोती को राजीखुशी रखता है।

27– **गवाह पी.ड.–12 फूला** ने साक्ष्य दी है कि वह जहाजपुर में रहती है। उसकी ननद की शादी दीपू के साथ पांच साल पहले सरवाड़ में हुई थी। उसे नहीं पता कि उसकी ननद को उसका पति ससुराल में कैसे रखता है। गवाह को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। **अपर लोक अभियोजक की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि उसके पुलिस बयान नहीं हुए थे। पुलिस बयान प्रदर्श पी–18 का ए से बी भाग ''हम कोई भी .....तू डायन है' तथा सी से डी भाग ''लोहे की चम्मच.....ईलाज चल रहा है'', पुलिस को नहीं लिखाया। यह कहना गलत है कि राजीनामा होने के झूठे बयान दे रहा हूं। **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि उसकी ननद ने कभी नहीं बताया कि उसका पति उसके साथ मारपीट व दहेज की मांग करता है। मुझे नहीं पता कि उसकी ननद ने उसके पति के विरूद्ध रिपोर्ट क्यों दर्ज कराई, जबकि उसका ननदोई उसकी ननद को राजीखुशी रखता है।

28– **गवाह पी.ड.–13 सुरेंद्र कुमार गोदारा** ने साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 01.07.2023 को पुलिस थाना सरवाड़ में थानाधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन पुलिस थाना जहाजपुर भीलवाडा से एक जीरो नंबरी एफ.आई.आर. प्रदर्श पी 20 प्रार्थिया पूजा कीर की प्राप्त होने पर पुलिस थाना सरवाड़ में प्रकरण संख्या 186ध्2023 अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 307, 498ए आई.पी.सी. 3/4 राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी 19 पर ए से बी उसके डिजिटल हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान गवाहान के बयानात् उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये गये। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 है, जिस पर एक्स स्थान पर प्रार्थिया की अंगूठा निशानी तथा कार्यवाही पुलिस पर एस.एच.ओ. के हस्ताक्षर है। फर्द नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी 21 है, फर्द नक्शा मौका बरामदगी स्थल लकड़ी का डंडा व मोटरसाईकिल प्रदर्श पी 22 है, फर्द तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल द्वितीय प्रदर्श पी 23 है, जिन पर गवाहान, अभियुक्त तथा उसके हस्ताक्षर है। नक्शा मौका बरामदगी स्थल स्टील का पल्टा प्रदर्श पी 24 है, फर्द तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल प्रथम प्रदर्श पी 25 है, जिस पर गवाहान व उसके हस्ताक्षर हैं। अभियक्ता नोरती की निशादेही से फर्द तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल द्वितीय प्रदर्श पी 26 है, जिस पर गवाहान, अभियुक्त व उसके हस्ताक्षर है।

29– **गवाह पी.ड.–13 सुरेंद्र कुमार गोदारा** ने यह भी साक्ष्य दी है कि फर्द नक्शा मौका घटनास्थल प्रथम प्रदर्श पी 2 है, जिस पर ए से बी सुखदेव, सी से डी उसके हस्ताक्षर व एक्स स्थान पर पूजा व कमलेश की अंगूठा निशानी है। फर्द नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी 03 है, जिस पर ए से बी सुखदेव सी से डी उसके हस्ताक्षर व

एक्स स्थान पर पूजा व कमलेश की अंगूठा निशानी है। दांत की चोट के संबंध में डॉक्टर की राय प्रदर्श पी 14 है, जिस पर ए से बी डॉक्टर व सी से डी शामिल पत्रावली का अंकन व उसके हस्ताक्षर है। डॉक्टर महेश गुर्जर द्वारा पी़डिता पी़डिता की रेडियोलॉजिकल राय हेतु पी.एम.ओ. एम.जी अस्पताल, भीलवाड़ा को जारी की गई तहरीर प्रदर्श पी 15 है। पी़डिता के आई चोटों की चोट प्रतिवेदन रिपोर्ट प्रदर्श पी 12 व प्रदर्श पी 13 है, जिन पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। सी.एच.सी., सरवाड़ की ओ.पी.डी. पंजीयन पर्ची प्रदर्श पी 27 है, एक्सरे रिक्वीजेशन फॉर्म प्रदर्श पी 28 है, जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। एम.जी. अस्पताल भीलवाड़ा का डिस्चार्ज टिकिट प्रदर्श पी 29 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। एम.ओ. जहाजपुर पी़डिता पूजा की आई.आर. बाबत् दी गई तहरीर प्रदर्श पी 17 है, पी.एम.ओ. एम.जी अस्पताल को आई.आर. बाबत् दी गई तहरीर प्रदर्श पी 30 है, जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

30– **गवाह पी.ड.–13 सुरेंद्र कुमार गोदारा** ने यह भी साक्ष्य दी है कि एम.जी.एच. भीलवाड़ा पी़डिता पूजा की ओ.पी.डी. पंजीयन प्रति प्रदर्श पी 31 है। एम.ओ. जहाजपुर को पी़डिता पूजा की आई आर. में चोटों के संबंध में स्पष्ट राय हेतु दी गई तहरीर प्रदर्श पी 32 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मेडिकल बोर्ड ओपियन प्रदर्श पी 33 है। पी.एम.ओ. एम.जी अस्पताल भीलवाड़ा को रेडियॉलॉजी एक्पर्ट ऑपिनियन हेतु दी गई तहरीर प्रदर्श पी 34 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। सामूहिक चिकित्सा संघ अजमेर द्वारा पी.एम.ओ. एम.जी. अस्पताल भीलवाडा को जारी तहरीर प्रदर्श पी 35 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उपअधीक्षक जे.एल.एन. अस्पताल, अजमेर को विभागाध्यक्ष रेडियो डॉयग्नोसिस विभाग जे.एल.एन. अस्पताल, अजमेर द्वारा जारी तहरीर प्रदर्श पी 36 है, जिस पर शामिल पत्रावली का पृष्ठाकंन किया जाकर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

31– **गवाह पी.ड.–13 सुरेंद्र कुमार गोदारा** ने यह भी साक्ष्य दी है कि उसने अधीक्षक जे.एल.एन. अस्पताल, अजमेर को रेडियोलॉजी एक्पर्ट ओपिनियन हेतु जारी तहरीर प्रदर्श पी 37 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पी.एम.ओ. एम.जी. अस्पताल भीलवाड़ा पी़डिता पूजा की आई.आर. के संबंध में ओपिनियन हेतु दी गई तहरीर प्रदर्श पी 38 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। एम.ओ. जहाजपुर द्वारा पी.एम.ओ. एम.जी अस्पताल को रेडियोलॉजिकल एक्पर्ट ओपिनियन हेतु दी गई तहरीर प्रदर्श पी 16 है, जिस पर शामिल पत्रावली का पृष्ठाकंन किया जाकर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। एम. जी. अस्पताल भीलवाड़ा में पी़डिता पूजा के भर्ती होने व इलाज के संबंध में दस्तावेज प्रदर्श पी 39 है, जिस पर ए से बी गवाह सुखदेव के हस्ताक्षर व प्रत्येक पृष्ठ पर चिकित्सा अधिकारी प्रभारी अभिलेख कक्ष एम.जी अस्पताल के हस्ताक्षर व सील अंकित है।

32– **गवाह पी.ड.–13 सुरेंद्र कुमार गोदारा** ने यह भी साक्ष्य दी है कि फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी अभियुक्त दीपू प्रदर्श पी 40 है, फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी अभियुक्त किशोरलाल प्रदर्श पी 41 है, फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी अभियुक्ता नोरती देवी प्रदर्श पी 42 है, जिन पर गवाहान, अभियुक्त व उसके हस्ताक्षर है। अभियुक्तगण दीपू,

किशोरलाल, नोरती के द्वारा दी गई धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की ईतला क्रमशः प्रदर्श पी 44 लगायत प्रदर्श पी 45 है। अभियुक्तगण दीपू, किशोरलाल, नोरती के द्वारा दी गई धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की ईतला क्रमशः प्रदर्श पी 46 लगायत प्रदर्श पी 48 है। अभियुक्तगण दीपू, नोरती के द्वारा दी गई धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की ईतला क्रमशः प्रदर्श पी 49 व प्रदर्श पी 50 है। अभियुक्ता नोरती के द्वारा दी गई धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की ईतला क्रमशः प्रदर्श पी 51 लगायत प्रदर्श पी 54 है। उक्त इत्तलाओं पर अभियुक्तगण व उसके हस्ताक्षर है। फर्द पेशकशी व जब्ती प्रार्थिया पूजा की 3 रंगीन फोटो प्रदर्श पी 55 है, जिस पर गवाह के व उसके हस्ताक्षर है। फर्द पेशकशी व जब्ती स्त्रीधन प्रदर्श पी 56 है, जिस पर गवाहान व उसके हस्ताक्षर है।

33– **गवाह पी.ड.–13 सुरेंद्र कुमार गोदारा** ने यह भी साक्ष्य दी है कि फर्द जब्ती घटना में प्रयुक्त लकड़ी का डंडा प्रदर्श पी 57 है, जिस पर अभियुक्त दीपू, गवाहान उसके हस्ताक्षर है। फर्द जब्ती घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल संख्या आर.जे.48–एस.ए.–1385 प्रदर्श पी 58 है, जिस पर अभियुक्त किशोर, गवाहान तथा उसके हस्ताक्षर है। फर्द जब्ती स्टील का पल्टा प्रदर्श पी 59 है, जिस पर अभियुक्ता नोरती, गवाहान तथा उसके हस्ताक्षर है। पीडिता पूजा के संबंध में फोटोग्राफस प्रदर्श पी 60 लगायत प्रदर्श पी 67 है, जिस पर शामिल पत्रावली का पृष्ठाकंन होकर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 68 है, जिस पर कानि० अर्जुन यादव के हस्ताक्षर है। नकल रोजनामचा रपट प्रदर्श पी 69 लगायत प्रदर्श पी 89 हैं, जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 90 है, जिस पर ए से बी थानाधिकारी पुलिस थाना सरवाड़ के हस्ताक्षर है। अभियुक्तगण किशोर, नोरती, दीपू का सजायाबी रिकॉर्ड प्रदर्श पी 91 है। अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 92 लगायत प्रदर्श पी 95 है। पीडिता के शादी के फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी 96 है तथा परिवादीया के बयानों की वीडियोग्राफी का पेनड्राईव प्रदर्श पी 97 है। पीडिता पूजा के एम.एल.सी. एक्स–रे प्रदर्श पी 98 है। चार्जशीट प्रदर्श पी 99 है। संपूर्ण अनुसंधान से अभियुक्तगण दीपू उर्फ दीपक, किशोर व नोरती के विरुद्ध धारा 341, 323, 307, 324, 325, 326, 34, 498ए, 406 आईपीसी व 3/4 राजस्थान प्रताड़ना निवारण अधिनियम का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में पेश की गई।

34– **बचाव पक्ष की जिरह में** गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि जीरों नंबर की एफ.आई.आर. होने की दिनांक को पीडिता सरवाड़ में नहीं थी तथा उसे जिस दिन पुलिस थाना जहाजपुर से इत्तिला मिली, उस दिन वह पीडिता से नहीं मिला। यह भी सही है कि घटना की दिनांक को पीडिता व उसके परिवारजन ने पुलिस थाना सरवाड़ में प्रकरण दर्ज नहीं कराया तथा उसने जीरो नंबर एफ.आई.आर. में लिखी घटना के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था तथा उसके पास एफ.आई.आर. दर्ज करते समय पीडिता का कोई मेडिकल नहीं था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में पीडिता के साथ कोई मारपीट की घटना की दिनांक, माह, सन् नहीं लिखा हुआ है तथा उसे एफ.आई.आर. दर्ज करते समय लगाए गए आरोप व मारपीट के घटनास्थल के बारे में पूर्णतः आश्वस्त नहीं था। यह

सही है कि नक्शा—मौका घटनास्थल प्रदर्श पी—25 व नक्शा—मौका घटनास्थल प्रदर्श पी—21 व पी—23 के गवाह पीडिता के परिवारजन ही थे तथा उसके द्वारा पीडिता को चोटें कैसे आई, इस संबंध में कोई तफ्तीश नहीं की। यह कहना गलत है कि उसने प्रकरण में गलत अनुसंधान किया हो तथा अभियुक्तगण को इस प्रकरण में झूठा लिप्त किया हो।

35— जहां तक अभियुक्तगण पर **धारा 307/34 भा.दं.सं.** के अपराध का प्रश्न है तो **गवाह पी.ड.—1 पीडिता** के बयान महत्वपूर्ण हैं। गवाह के द्वारा साक्ष्य दी गई है कि अभियुक्तगण ने गैस पर चम्मच गर्म करके मेरे पैर, हाथों तथा मुंह को जला दिया था किन्तु पीडिता के द्वारा साक्ष्य नहीं दी है कि अभियुक्तगण ने लोहे के गर्म पल्टे से शरीर पर दागकर तथा उसे गड्ढा खोदकर आधा जमीन में दबाकर उसे जान से मारने का प्रयास किया गया हो। **गवाह पी.ड.—10 महेश कुमार** के द्वारा पीडिता के शरीर पर आई चोटों का परीक्षण किया गया है तथा गवाह ने पीडिता के शरीर पर कुल 13 चोटें कारित होने के संबंध में साक्ष्य दी है, किन्तु चिकित्साधिकारी के द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य नहीं दी है कि पीडिता के शरीर पर किसी जलने का निशान पाया हो। अतः अभियोजन पक्ष अपनी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 307/34 भा.दं.सं. का आरोप साबित करने में असफल रहा है।

36— जहां तक अभियुक्तगण के विरूद्ध **धारा 326/34 भा.दं.सं.** के आरोप का प्रश्न है तो **गवाह पी.ड.—1 पीडिता** के बयान महत्वपूर्ण हैं। गवाह के द्वारा साक्ष्य दी गई है कि अभियुक्तगण ने गैस पर चम्मच गर्म करके मेरे पैर, हाथों तथा मुंह को जला दिया था, किन्तु अभियुक्तगण ने मुंह में डण्डा डालकर उसके दांत तोड़ दिए हो, के संबंध में साक्ष्य नहीं दी है। **गवाह पी.ड.—10 महेश कुमार** के द्वारा साक्ष्य दी गई है कि पीडिता की चोट संख्या—10 मुंह के उपर वाले दांत में से एक दांत नहीं था तथा चोट संख्या—11 उपर वाले दांत ढीले हो गए थे तथा चोटों की अवधि दो महिने से अधिक पुरानी थी, किन्तु चिकित्साधिकारी के द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य नहीं दी है कि पीडिता के शरीर पर किसी जलने का निशान पाया हो। अभियुक्तगण के द्वारा पीडिता के दांत तोड़े गए हों, इस संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 326/34 भा.दं.सं. का आरोप साबित करने में असफल रहा है।

37— जहां तक अभियुक्तगण के विरूद्ध **धारा 498 ए भा.दं.सं.** के आरोप का प्रश्न है तो **गवाह पी.ड.—1 पीडिता** के बयान महत्वपूर्ण हैं। गवाह के द्वारा साक्ष्य दी गई है कि उसकी शादी अभियुक्त दीपू के साथ हिन्दू रीति—रिवाज के साथ जहाजपुर में सम्पन्न हुई थी। शादी के दौरान घरवालों ने दहेज में बर्तन, कूलर, सोने का मांदलिया, एल.सी.डी., गले की चांदी की चैन, चांदी के पायजेब व मंगलसूत्र, सोने के टाप्स, हथलेवा में तीस हजार रूपए नकद दिए थे। उसके पति व सास, ससुर ने दहेज में एक लाख रूपए की मांग की तथा कहा कि रूपए दोगे, तभी पीहर भेजेंगे। उसने माता—पिता को इसके बारे में बताया तथा उसका पति व सास, ससुर उसे जान से मारने की धमकी देते थे। पीडिता ने अपने बयानों में स्वयं को अनपढ़ होना बताया है, इस कारण से पीडिता के द्वारा यह नहीं बताया है कि अभियुक्तगण के द्वारा दहेज में एक लाख रूपए की मांग किस महिने व

सन् में की थी। अभियुक्तगण के द्वारा पीडिता व उसके परिवारजन से दहेज में एक लाख रूपए की मांग नहीं की हो, इसका कोई खण्डन नहीं किया गया है। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 498 ए भा.दं.सं. का आरोप साबित करने में असफल रहा है।

38– जहां तक अभियुक्तगण के विरूद्ध **धारा 324/34 भा.दं.सं.** के आरोप का प्रश्न है तो **गवाह पी.ड.–1 पीडिता** के द्वारा साक्ष्य दी गई है कि उसके पति व सास, ससुर ने गर्म पल्टे से उसके साथ मारपीट की तथा उसे जान से मारने की धमकी दी एवं उसे होद का पानी पिलाते थे। बचाव पक्ष के द्वारा पीडिता से इस संबंध में कोई तात्विक जिरह नहीं की है। इसके अतिरिक्त पीडिता के ईलाज के कागजात प्रदर्श पी–27 लगायत पी–39 हैं, जिनके अनुसार पीडिता को ईलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अभियुक्तगण के द्वारा पीडिता के साथ मारपीट नहीं की गई हो, इसका खण्डन अभियुक्तगण ने अपने धारा 313 दं.प्र.सं./351 बी.एन.एस.एस. में नहीं किया है तथा मात्र कथन किया है कि वे निर्दोष है, उन्हें झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण के द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला प्रदर्श पी–43 लगायत पी–45 दी है कि उनके द्वारा पूजा को उसके शरीर से डाकन निकालने के लिए स्टील के पल्टे को गर्म करके हाथ, पैर व चेहरे पर डाम लगाया था तथा लकड़ी से मारपीट की, वह स्थान चलकर बता सकते हैं तथा अभियुक्ता नौरती ने धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला प्रदर्श पी–51 दी है कि ''मैंने व मेरे पति व पुत्र ने पूजा के साथ जिस पल्टे को गर्म करके उसके शरीर पर डाम लगाया था, वह स्टील का पल्टा मैंने हमारे घर में कमरे में छिपाकर रखा है, वह स्टील का पल्टा चलकर बरामद करवा सकती हूं''। उक्त इत्तिला के आधार पर प्रकरण में प्रयुक्त स्टील का पल्टा का नक्शा–मौका बरामदगीस्थल प्रदर्श पी–24 बनाया गया है, जिसमें ''एक्स'' स्थान से मुलजिमा नौरती देवी के बताए अनुसार स्टील का पल्टा बरामद किया गया है। बचाव पक्ष के द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श पी–24 के संबंध में गवाह पी.ड.–13 सुरेन्द्र कुमार गोदारा, अनुसंधान अधिकारी से कोई तात्विक जिरह नहीं की है। इसके अतिरिक्त **गवाह पी.ड.–13 सुरेन्द्र कुमार गोदारा** के द्वारा अनुसंधान के दौरान की गई कार्यवाही का इन्द्राज नकल रपट रोजनामचा प्रदर्श पी–69 लगायत पी–89 में किया गया है तथा अभियुक्तगण का सजायाबी रेकार्ड प्रदर्श पी–91 तथा उनके विरूद्ध पूर्व में दर्ज मुकदमें की एफ.आई.आर. प्रदर्श पी–92 लगायत पी–95 पेश की है। अभियोजन पक्ष के द्वारा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया है कि अभियुक्तगण के द्वारा पीडिता के साथ खतरनाक आयुध गर्म लोहे के पल्टे से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 324/34 भा.दं.सं. का आरोप साबित करने में सफल रहा है।

39– जहां तक अभियुक्तगण के विरूद्ध **धारा 3/4 राजस्थान डायन प्रताड़ना अधिनियम 2015** का प्रश्न है तो पीडिता के बयान महत्वपूर्ण है। **गवाह पी.ड.–1 पीडिता** के द्वारा साक्ष्य दी गई है कि अभियुक्तगण के उसके साथ गर्म पल्टे से मारपीट की तथा उसे हौद का पानी पिलाया एवं उसे डायन कहते थे। बचाव पक्ष के द्वारा इस तथ्य का खण्डन नहीं किया गया है कि अभियुक्तगण पीडिता को डायन कहते थे। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 3/4 राजस्थान डायन प्रताड़ना

अधिनियम 2015 साबित करने में सफल रहा है।

40– अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित धारा 307/34, 326/34 भा.दं.सं. का आरोप साबित करने में असफल रहा है तथा आरोपित अपराध धारा 324/34, 498ए भा.दं.सं. व धारा 3/4 राजस्थान डायन प्रताड़ना अधिनियम का आरोप साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध धारा 324/34, 498ए भा.दं.सं. व धारा 3/4 राजस्थान डायन प्रताड़ना अधिनियम में दोषसिद्ध किया जाना न्यायसंगत है।

– <u>आ दे श</u> –

41– अतः अभियुक्तगण **(1) दीपू** पुत्र श्री किशोर कीर, निवासी वार्ड नंबर–1 सरवाड़, पुलिस थाना सरवाड़, जिला अजमेर, **(2) किशोरलाल** पुत्र श्री रामदेव, निवासी वार्ड नंबर–1 सरवाड़, पुलिस थाना सरवाड़, जिला अजमेर व **(3) श्रीमती नौरती** पत्नी किशोर कीर, निवासी वार्ड नंबर–1 सरवाड़, पुलिस थाना सरवाड़, जिला अजमेर (राज.) को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 341/34, 323/34, 325/34, 406 भा.दं.सं. में राजीनामा के आधार पर व धारा 307/34, 326/34 भा.दं.सं. में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है तथा अभियुक्तगण को धारा 324/34, 498ए भा.दं.सं. व धारा 3/4 राजस्थान डायन प्रताड़ना अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है।

(जयमाला पानीगर)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या–1, केकड़ी, जिला अजमेर.

<u>विचारणीय बिन्दु संख्या–2</u>

42– सजा के प्रश्न पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने निवेदन किया कि अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है। पूर्व दोषसिद्धि बाबत् कोई साक्ष्य नहीं है। अभियुक्तगण प्रकरण में वर्ष 2023 से अन्वीक्षा भुगत रहे हैं। अतः अभियुक्तगण के प्रति सजा में नरमी का रूख अपनाते हुए अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाने का निवेदन किया।

43– इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने अभियुक्तगण को विधि में विहित दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया।

44– सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह सही है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि बाबत् कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। हालांकि अभियुक्तगण प्रकरण में वर्ष 2023 से अन्वीक्षा भुगत रहे है। अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों,

अभियुक्तगण की आयु व अपराध की प्रकृति के मद्देनजर अभियुक्तगण के प्रति सजा में नरमी का रूख अपनाया जाकर अभियुक्तगण को तुरन्त कारावास के दण्ड से दण्डित नहीं किया जाकर परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– **द ण् डा दे श** –

45– अतः अभियुक्तगण **(1) दीपू** पुत्र श्री किशोर कीर, निवासी वार्ड नंबर–1 सरवाड़, पुलिस थाना सरवाड़, जिला अजमेर, **(2) किशोरलाल** पुत्र श्री रामदेव, निवासी वार्ड नंबर–1 सरवाड़, पुलिस थाना सरवाड़, जिला अजमेर व **(3) श्रीमती नौरती** पत्नी किशोर कीर, निवासी वार्ड नंबर–1 सरवाड़, पुलिस थाना सरवाड़, जिला अजमेर (राज.) को दोषसिद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 324/34, 498 ए भा.दं.सं. व धारा 3/4 राजस्थान डायन प्रताड़ना अधिनियम के दोषसिद्ध अपराध में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 4 का लाभ दिया जाकर आदेशित किया जाता है कि प्रत्येक अभियुक्तगण 25,000/–रूपए राशि की जमानत व इसी राशि का स्वयं का मुचलका एक वर्ष के लिए न्यायालय के समक्ष पेश कर इस आशय के तस्दीक करावें कि–

(1) वे दौराने परिवीक्षा शांति व सदाचार बनाए रखेंगे,
(2) अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे तथा
(3) न्यायालय द्वारा तलब करने पर सजा पाने के लिए उपस्थित रहेंगे तो उन्हें परिवीक्षा पर छोड़ दिया जावे। साथ ही अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत आदेश दिया जाता है कि 5,000/–रूपए (पांच हजार रूपए मात्र) बतौर अभियोजन व्यय न्यायालय में जमा कराएंगे।

46– आहता के कारित चोटों की प्रकृति के मद्देनजर धारा 357 एदं.प्र.सं./386 बी.एन.एस.एस. के तहत Victim compensation Scheme एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अजमेर को अनुशंसा नहीं की जाती है।

(जयमाला पानीगर)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या–1, केकड़ी, जिला अजमेर.

47– निर्णय व दण्डादेश आज दिनांक 15–06–2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर मुद्रांकित किया जाकर सुनाया गया।

RAJENDERA NIRWAN

Steno Gr. I "Authenticate Document" Digitally signed by RAJENDERA NIRWAN Date: 2026.06.16 11:43:00 +0530

(जयमाला पानीगर)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या–1, केकड़ी, जिला अजमेर.